

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना —:

अधिसूचना संख्या 1128/भू अ०

दिनांक : 23/10/19

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-चकबागजोरा, थाना-मधुपुर, थाना सं०-350, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा मधुपुर (सरवन मेन रोड) कजरा से घसको मोड़ भाया बागजोरा बंशटोली बेरहन तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-चकबागजोरा, थाना-मधुपुर, थाना सं०-350, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.49 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7	285	रैयती	धानी-3	0.01	नथु महतो बल्द डोमन महतो वो कोदो महतो बल्द चतरु महतो।	चकन वादा 347	बाघ जोरा, 351	दाग 280, अंश रकवा	दाग 247 अंश
2	9	297	रैयती	मकान में सहन	0.03	नन्दकिशोर झा वो मुरारी झा पे० स्व० इन्द्रनारायण झा वो त्रिगुनानन्द झा पे० स्व० कालीचरण झा। सा० देह।				
3	9	301	रैयती	धानी-3	0.04	तथैव।				
4	9	238	रैयती	मकान में सहन	0.02	तथैव।				
5	9	226	रैयती	धानी-3	0.015	तथैव।				
6	9	314	रैयती	धानी-3	0.02	धरनीधर झा वो महेश्वर झा वो धनंजय झा पे० स्व० शीतल झा। सा० देह।				
7	9	320	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
8	9	339	रैयती	मकान में सहन	0.03	तथैव।				
9	9	254	रैयती	बाड़ी-2	0.025	श्रीकांत झा वो अभयकांत झा पे० स्व० गोविन्द झा।				
10	9	249	रैयती	बाड़ी-2	0.075	तथैव।				
11	9	294	रैयती	मकान में सहन	0.005	तथैव।				
12	9	318	रैयती	बाड़ी-2	0.015	तथैव।				
13	9	235	रैयती	धानी-3	0.035	चुनुकान्त झा वो मंगलानन्द झा वो प्रमोद झा पे० स्व० नुनमनी झा वो जीतेन्द्र ण वो अजय झा पे० स्व० लक्ष्मी झा वो अमोद झा पे० स्व० सीताराम झा वो गंगाहरी झा वो मनोकामना झा पे० स्व० नगदी झा वो अर्जून झा पे० स्व० लालजी झा वो हरि प्र० झा वो परमानन्द झा पे० स्व० शम्भुनाथ झा वो रविकान्त झा पे० दिनेश्वर झा। सा० देह।				
14	9	228	रैयती	धानी-3	0.02	तथैव।				
15	9	287	रैयती	धानी-3	0.04	दिवाकान्त झा वो हृदयेश्वर झा पे० स्व०				

						मुक्तिनाथ झा वो सुबोध झा वो विजय झा पे० स्व० अनसी झा वो अशोक झा वो आसु झा वो संतोष झा पे० स्व० मणीकान्त झा। सा० देह।				
16	9	296	रैयती	मकान में सहन	0.02	तथैव।				
17	13	295	रैयती	मकान में सहन	0.01	जमुना झा वो नारायण झा वो सुरेन्द्र झा वो भोला झा पे० स्व० जलेश्वर झा वो रेखा देवी पति स्व० भगवान झा वो विष्णु झा पे० स्व० गणेश झा वो बाबुरानी देव्या पति स्व० सुरेश झा वो सोना झा वो बलराम झा वो दर्शन झा पे० स्व० देवनारायण झा। सा० देह।				
18		315	रैयती	धानी-2	0.015	तथैव।				
19		316	रैयती	धानी-3	0.015	तथैव।				
20		223	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।				
21		225	रैयती	धानी-3	0.015	तथैव।				
22		224	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।				
23		222	रैयती	धानी-3	0.005	तथैव।				
कुल रकवा-					0.49					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1128 / भू अ०, देवघर, दिनांक 23/10/19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
23/10/19

19-10-19.
अपर समाहर्ता
देवघर

24/10/19
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।